

IS 15700:2005



संयोजन प्रमाणिका

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०-3327/ 15/10-27/2015-16 दिनांक-29/12/2015
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

मै० समृद्धि डेवलपर्स,
श्री फूल सिंह, (अधिकृत)
343/12 शास्त्री नगर,
कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-3/Comm-1/27, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, सेक्टर-3
कल्यानपुर कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-3/Comm-1/27, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, सेक्टर-3 कल्यानपुर कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2015 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या- 27/15-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 29/12/15 से 28/12/2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 966.28 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 688.44 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटनी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।


कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुशा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (02 नमूने शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स एवं गणना का एक सेट।

भवदीय



(अरविन्द देव सिंह)

वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 29/12/15

पुस्तक सं 3327 / उक्त/

प्रतिष्ठिति: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित प्रेषित।
3. समिति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

वास्तुविद नियोजक



IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०- 1557/ 18910-2016 / AP-7 दिनांक- 07/06/2016
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती उमा गुप्ता,
w/o श्री रमाशंकर गुप्ता,
117/P-1/6, शिवपुरी, छपेडा पुलिया,
काकालदेव, कानपुर।

विषय:- प्रीमियम भूखण्ड संख्या-3/PR-22, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या-3/PR-22, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या-19/15-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 07/06/16 से 06/06/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 319.01 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 330.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्रों का एक सैट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 07/06/2016.

पू0सं0: 1557 / उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

SPLKO INDRNagar
226/16
EU107149790
To UMA
From CAPOTTI/KO KANPUR-208001
Amt-40,00
dated 09/6/16



वास्तुविद नियोजक
E. Kalyan
31/5/16



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com



पत्र सं०-1164/1824/101/2016-17 दिनांक-5/5/2016
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री सरोज यादव, S/O स्व मोहब्बत सिंह एवं
श्री प्रभाष कुमार S/O स्व कुबेर लाल
मै० अग्नेलाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०,
1651, न्यू शिवली रोड,
कल्याणपुर, कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-1/Comm-1/2, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कल्याणपुर,
कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 1/Comm-1/2, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 26.04.2016 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या- 01/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 5/5/16 से 4/5/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 675.54 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटनी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमश:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्रों का एक सैट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल मानचित्र एवं गणना (01 सैट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 5/5/16

पृ०सं०: 1164/उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

प्रति
गोप

वास्तुविद नियोजक
5/5/16



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com



पत्र सं०-2584 / नि०प्रा०-7/2016-17/

दिनांक-26/8/2016

उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती राधा देवी पार्टनर
आर०एस० इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड डेवलपर्स,
343/12, शास्त्री नगर, कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-AC-13 योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- AC-13 योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2016 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या-
07/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 26/8/16 से 25/8/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20,
उ०प्रा० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से
पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 275.11 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 277.20 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान
की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी
और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग
की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया
जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे,
जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के
कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्था की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्रों का एक सैट (01 नग शीट)।

भवदीय

dc (अरविन्द देव अग्रवाल)
 वास्तुविद नियोजक
 दिनांक 24/08/16 26/8/2016

पृ0सं0: 2584 /उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

dc (अरविन्द देव अग्रवाल)
 वास्तुविद नियोजक
 दिनांक 24/08/16

IS 15700:2005



संयोजित प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०- 1020 / वा0नि0-7 / नि0प्रा0-10 / 2017 दिनांक- 13-4-17
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री मोहनलाल गुप्ता,
E/GP-2, योजना सं०-3,
कल्याणपुर, कानपुर।

**विषय-गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० : E/GP-2, योजना संख्या-3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० : E/GP-2, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 03.04.2017 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या-10/16-17 के अनुसार एवं दिनांक 31.01.2017 को आवास आयुक्त (म०) की अध्यक्षता में संपन्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रदान किए गए अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 13-4-17 से 12-4-2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेंट + स्टिल्ट + 07 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 12910.53 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 4705.74 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमश-2

10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र संख्या- 2017/27913/कै0एन0सी0/कानपुर नगर/681/सी0एफ0ओ0/दिनांक 25.03.2017 द्वारा निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों के अनुक्रम में अनुज्ञा निर्गत की जा रही है। भवन के स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्मित हो जाने के उपरान्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी से उक्त निर्मित भवन के सापेक्ष अंतिम रूप से निर्गत अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके उपरान्त ही पूर्णत प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।
11. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
13. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
14. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरप्पा की गयी है।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
19. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सैट। (13 नग)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट। (17 नग)
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सैट। (201 पृष्ठ)
4. अग्निशमन मानचित्रों का एक सैट। (13 नग)

भवदीय

(अरविन्द देव)

वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0: 1020 /उक्त/

दिनांक : 13/4/17

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फजलगंज, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट एवं प्रपत्र-च सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।

Rund
13/4/17

वास्तुविद नियोजक
13/04

IS 15700:2005



सर्वोत्तम प्रशासिका

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुविद् नियोजक

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०- 4662 / वा०नि०-7 /

दिनांक- 22/12/16

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री राकेश कुमार गुप्ता,
पुत्र स्व० गया प्रसाद गुप्ता,
जी०टी० रोड, उत्तरीपुरा, कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : 1/Comm-1/27, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : 1/Comm-1/27, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या - 11/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 22/12/16 से 21/12/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 670.77 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की माँग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमश:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटि द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्टले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्टले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्रों का एक सैट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल मानचित्र एवं गणना (01 सैट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक: 22/12/16

पृ0सं0: 4662 /उक्त/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अधीक्षण अभियन्ता, वतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, यो0 सं0-1, केशवपुरम, कल्याणपुर, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलैक्स केशवपुरम, कल्याणपुर, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

वास्तुविद/नियोजक

21/12/16

IS 15700:2005




सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुविद् नियोजक

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०-2932/ वा0नि0-7 /

दिनांक- 3 | 10 | 16

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री सरोज यादव, S/O स्व मोहब्बत सिंह एवं

श्री प्रभाष कुमार S/O स्व कुबेर लाल

मै0 अग्नेलाल इन्फार्स्ट्रक्चर प्रा0 लि0,

1851, न्यू शिवली रोड,

कल्याणपुर, कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-1/Comm-1/2, योजना सं0-3, अम्बेडकरपुरम्, कल्याणपुर,
कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 1/Comm-1/2, योजना सं0-3, अम्बेडकरपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2016 के क्रम में नि0प्र0 आदेश रजिस्टर संख्या- 14/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 3 | 10 | 16 से 2 | 10 | 2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अगियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 675.54 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

क म श 2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वैस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटि द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर बरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्रों का एक सैट (01 नम शीट)।
2. स्ट्रक्चरल मानचित्र एवं गणना (01 सैट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक
दिनांक 3/10/16

पृ0सं0: 2932 / उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक
दिनांक 3/10/16

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०- 556 / वा०नि०-7 / नि०प्रा० 53 (15-16-17) दिनांक- 06/3/17
उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री हरिनन्दन सिंह, श्रीमती नीलिमा सिंह
एवं श्री सुनील सिंह,
जी०-1134 आवास विकास,
कल्याणपुर, कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड सं० : 3/कॉम-1/9, योजना सं०-3, डॉ० अम्बेडकरपुरम्,
कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : 3/कॉम-1/9, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर में
निर्माण करने के संबंध में आप द्वारा दिनांक 27.02.2017 को इस कार्यालय में हाथोंहाथ उपलब्ध
कराए गए प्रपत्र एवं मानचित्रों के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या : 15/16-17 के अनुसार
निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 06/3/17 से 05/3/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20,
उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी
होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण
से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति 500.19 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 374.50 वर्गमीटर के भूखण्ड में
प्रस्तावित है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की माँग नहीं की जायेगी
और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत
पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान
किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
7. वर्तमान (प्रथम चरण) में यह स्वीकृति केवल बेसमेन्ट एवं भू-तल हेतु प्रदान की जाती है।
बेसमेन्ट एवं भू-तल के निर्माण के उपरान्त संबंधित खण्ड कार्यालय द्वारा स्थल की पुष्टि
(स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण) के उपरान्त तदनुसार अनुवर्ती तलों की स्वीकृति
प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

कमरा:-2

8. भूखंड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करने के लिए जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्टले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्टले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्रों का एक सैट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल मानचित्र एवं गणना (01 सैट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)

वास्तुविद नियोजक

पू0सं0: 556 /उक्त/

दिनांक :

06/03/2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, यो0 सं0-1, केशवपुरम, कल्याणपुर, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्प्लैक्स केशवपुरम, कल्याणपुर, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

Exam - Map
Received
Hansmelan Singh
07/03/17

वास्तुविद नियोजक
Arvind Dev Arya



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०- 4764 / वा०नि०-7 / दिनांक- 04/11/16
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री रवि अग्रवाल
S/O श्री आर०पी० अग्रवाल
डायरेक्टर आर० ए० इन्फ्रालैण्ड डेवलपर्स प्रा० लि०,
ए-18 कमला नगर, आगरा।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-1/Comm-1/13, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कल्याणपुर,
कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 1/Comm-1/13, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2016 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या- 16/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 04/11/16 से 03/11/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 668.05 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

क म श:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटि द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्रों का एक सैट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल मानचित्र एवं गणना (01 सैट)।

भवदीय


ok (अरविन्द सिंह आर्य)
वास्तुविद नियोजक

पू०सं०: 4164 / उक्त/

दिनांक : 04/11/16

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, यो० सं०-1, केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलैक्स केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।


ok वास्तुविद नियोजक





उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०- 1978 वा0नि0-7 /

दिनांक- 12/7/17

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री अरुण कपूर,
रीजेन्सी नर्सिंग स्कूल, यूनिट रीजेन्सी हॉस्पिटल लि0,
ए-2, सर्वोदय नगर, कानपुर।

विषय:- शैक्षिक भूखण्ड सं० : 1/पी0एस0, सेक्टर-1, अम्बेडकरपुरम्, योजना सं०-3, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

शैक्षिक भूखण्ड संख्या : 1/पी0एस0, सेक्टर-1, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2017 के क्रम में नि0प्र0 आदेश रजिस्टर संख्या : 23/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी, दिनांक 12/7/17 से 11/7/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा मगटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 2141.73 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 3079.40 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
10. यदि परिषद द्वारा किसी सगय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

कमरा:-2

12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसी जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सैट। (03 नग)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट। (15 नग)
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सैट। (50 नग)

भवदीय


A. R. Khanna
(अरविन्द देव)
वास्तुविद नियोजक

पू०सं०: 1976 /उक्त/

दिनांक: 12-7-2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फजलगंज, कानपुर को उपरोक्तानुसार आपके पत्रांक 2017/28574/केएनसी/का०न०/700/डीडी/दिनांक 30.05.2017 की एक प्रति एवं प्रपत्र-च सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

*Received by
Khanna*


A. R. Khanna
वास्तुविद नियोजक

IS 15700:2005



संकेतम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०-~~1463~~ / वा०नि०-7 /

दिनांक- 24/5/17

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

मैसर्स ए०ए० एसोसिएट्स,
111ए/128 अशोक नगर,
कानपुर।

विषय:- प्रीमियम भूखण्ड सं०- 3/PR-15, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या : 3/PR-15, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 12.05.2017 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या : 01/UT-15/17-18 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 24/5/17 से 29/5/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 329.84 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 330.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

कमरा:-2

12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्टले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्टले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
19. आप द्वारा प्रस्तुत विकय-विलेख प्रपत्रों में "भू-तल पर व्यवसायिक उपभोग होने की दशा में स्टाम्प शुल्क भी देय अनिवार्य होगा" सम्बन्धी टिप्पणी अंकित है। कृपया इस संदर्भ में तीन माह के अन्दर आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराना होगा। अन्यथा मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

1. मानचित्र का एक सेट (01 नग शीट)।

पृ०सं०: 1463 / उक्त/ 24/5/17 दिनांक :
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. उप आवास आयुक्त, कानपुर जोन, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 1202/वा०नि०-7/नि०प्र०-01/UT-15/17-18/दिनांक 02.05.2017 के कम में इस आशय से कि प्रश्नगत प्रकरण में स्टाम्प शुल्क वसूलने अथवा विकय-विलेख में आवश्यक संशोधन करते हुए (दोनों ही स्थिति में) इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

शीट आंगण पत्र सं. 1463 दिनांक 24-05-17
साथ प्राप्त किया।

इस काम को अंगण
25.05.17

भवदीय
24/05
(अरविन्द देव)
वास्तुविद नियोजक
24/05/17

24/05
वास्तुविद नियोजक
24/05/17

IS 15700:2005



भारतीय मानक प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बी-ब्लॉक, प्रथम तल,
केशवपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर।

भारतीय मानक च्चूरी IS 15700



पत्र सं०- 410 / वा०नि०-7 / नि०प्रा०-16/17-18 दिनांक-24/08/17

उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री जितेन्द्र सिंह
पुत्र, स्व० आर०एल० सिंह,
111/417, अशोक नगर,
कानपुर - 208012

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड सं० : 1/कॉम-1/21, अम्बेडकरपुरम्, योजना सं०-3,
कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : 1/कॉम-1/21, अम्बेडकरपुरम्, योजना सं०-3, कानपुर में
निर्माण करने के संबंध में आप द्वारा दिनांक 17.08.2017 को इस कार्यालय में हाथोंहाथ
उपलब्ध कराए गए प्रपत्र एवं मानचित्रों के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर
संख्या : 06/यू०टी०-15/17-18 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की
जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 24/08/17 से 23/08/22 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20,
उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी
होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण
से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति 642.22 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में
प्रस्तावित है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की माँग नहीं की जायेगी
और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत
पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान
किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
7. यह स्वीकृति भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।

कमश:-2

8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्रों का एक सैट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0: 4/0 /उक्त/

दिनांक: 24/08/17

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, यो0 सं0-1, केशवपुरम, कल्याणपुर, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलैक्स केशवपुरम, कल्याणपुर, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक